



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-27062024-254947
CG-MH-E-27062024-254947

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2332]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 25, 2024/आषाढ 4, 1946

No. 2332]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 25, 2024/ASHADHA 4, 1946

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मुंबई, 25 जून, 2024

का.आ. 2453(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 2008 अधिनियम की धारा 2 के खंड (7क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से निचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लेखित उपखंड स्तम्भ (4), में उल्लेखित जिलो के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश राज्य में विशेष रेल परियोजना, के सन्दर्भ में दाहोद-इंदौर नई बड़ी लाइन वाया झाबुआ, सरदारपुर, धार एवं पीथमपुर (204.76 की.मी.) के लिए भूमि अधिग्रहण के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए स्तम्भ (2) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम अधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

क्रम सं.	सक्षम अधिकारी	उप खंड	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रामा	रामा	झाबुआ
	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) झाबुआ	झाबुआ	झाबुआ

[फा. सं. इ ऑफिस. इ-514544-16]

धीरज कुमार, मुख्य अभियंता (निर्माण) IV

MINISTRY OF RAILWAYS**[Western Railway (Construction Organization)]****NOTIFICATION**

Mumbai, the 25th June, 2024

S.O. 2453(E).—In exercise of the powers conferred by clause (7A) of section 2 of the Railways (Amendment) Act-2008, the Central Government hereby authorised the officers nominated in in column (2) of the Table below as “Competent Authority” to perform the function as such authority under the said act, with effect from the date of publication of this notification in the official Gazetted in respect of the Special Railway Project of “New BG Line Project from Dahod-Indore via Jhabua, Sardarpur, Dhar & Pithampur (204.76 Km.) as a special Rail project for acquisition of land in the State of Madhya Pradesh relating to sub-Divisions mentioned in column (3) Districts mentioned in column (4) of the said table for the public purpose of execution, maintenance, management and operation of such Special Railway Project.

S.N	Competent Authority	Sub Division	District
(1)	(2)	(3)	(4)
01	Sub-Divisional Officer (Revenue) Rama	Rama	Jhabua
	Sub-Divisional Officer (Revenue) Jhabua	Jhabua	Jhabua

[F. No. E- Office E-514544-16]

DHEERAJ KUMAR, Chief Engineer (Construction)-IV